



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1939 (श10)

(सं0 पटना 888) पटना, शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर 2017

एस0 ओ0 195, दिनांक 22 सितम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम दिनांक 15.09.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में, —

- उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा —

“(3क).उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 1 अक्टूबर, 2017 से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा :
परन्तु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।”;

- उपनियम (5) में, “या उपनियम (3)” शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपनियम (3क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल नियमों में नियम 120 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा—

“120क. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा

प्रस्तुत की है वह ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा।”;

4. मूल नियमों में नियम 122 में, खंड (ख) में, “राज्य कर या केन्द्रीय कर आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “कम से कम एक वर्ष के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

5. मूल नियमों में, नियम 124 में,—

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, यथा —

“(3) तकनीकी सदस्य को मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्तों और फायदों का संदाय किया जाएगा, जो उसे तब अनुज्ञेय हैं, जब वह भारत सरकार में समतुल्य समूह ‘क’ पद धारण कर रहा हो:

परन्तु जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी का तकनीकी सदस्य के रूप में चयन किया जाता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन का पेंशन की रकम से कम करके समतुल्य मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा।”

(ii) उपनियम (4) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा —

“परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।”;

(iii) उपनियम (5) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा —

“परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, सुने जाने का अवसर दिये जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय तकनीकी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।”;

6. मूल नियमों के नियम 127 के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा —

“(iv) प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद को एक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

7. मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, यथा —

“परन्तु यह कि जहां मालों को किसी एक राज्य में अवस्थित प्रधान द्वारा किसी अन्य राज्य में अवस्थित जॉब वर्कर को भेजा जाता है तो ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद प्रधान द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां हस्तशिल्प मालों का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धारा 24 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है, ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “हस्तशिल्प माल” का वही अर्थ है जो उसका राज्य सरकार की अधिसूचना, जो राजपत्र में एस०ओ० 179 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में है।”,

8. मूल नियमों में, 1 जुलाई, 2017 से, “प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1” में,—

(i) क्रम संख्या 5 (क) में शीर्ष में, “धारा 140 (1)” शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात् “धारा 140 (4) (क) और धारा 140 (9)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 7 (क) में, सारणी में, क्रम संख्या 7क में शीर्ष में, “बीजक” शब्द के पश्चात् “(प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) सहित)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) “पदनाम/प्रास्थिति” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा —

“अनुदेश:

1. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उपधारा (9) के निबंधनों में केन्द्रीय कर प्रत्यय।

2. प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) का फायदा उठाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति शीर्ष “इनपुट” के अधीन सारणी-7क में प्रत्यय का फायदा लेने के अतिरिक्त “टीआरएनएस-3” को भी फाइल करेंगे।”;

9. मूल नियमों में 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटीआर-4 में, क्रम संख्या 8 में प्रविष्टि 8ख (2) में "अंतरराज्यीय प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "अंतरराज्यिक प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

10. मूल नियमों में 30 अगस्त, 2017 से "प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01" के टिप्पणों में, टिप्पण-4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा -

"5. प्रवेश बीजक के ब्यौरों को बीजक के स्थान पर वहां दर्ज किया जाएगा जहां पारेषण आयात से संबंधित है।"

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3539)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

22 सितम्बर 2017

एस० ओ० 196, एस० ओ० 195, दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3539)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 22nd September 2017

S.O 195, dated 22nd September 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (fifth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 15th September, 2017.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3—

(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has applied for registration under sub-rule (1) of rule 8 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of October, 2017 by electronically filing an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, before the said date and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub - rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the said date:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished.”;

(ii) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “or sub-rule (3)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (3A)” shall be inserted;

3. In the principal rules, after rule 120, the following rule shall be inserted, namely—

“120A. Every registered person who has submitted a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** within the time period specified in rule 117, rule 118, rule 119 and rule 120 may revise such declaration once and submit the revised declaration in **FORM GST TRAN-1** electronically on the common

portal within the time period specified in the said rules or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.”;

4. In the principal rules, in rule 122, in clause (b), after the words “Commissioners of State tax or central tax”, the words “for at least one year” shall be inserted;

5. In the principal rules, in rule 124,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) The Technical Member shall be paid a monthly salary and other allowances and benefits as are admissible to him when holding an equivalent Group 'A' post in the Government of India:

Provided that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary equal to his last drawn salary reduced by the amount of pension in accordance with the recommendations of the Seventh Pay Commission, as accepted by the Central Government.”;

(ii) in sub-rule (4), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely—

“Provided further that upon the recommendations of the Council and subject to an opportunity of being heard, the Central Government may terminate the appointment of the Chairman at any time.”;

(iii) in sub-rule (5), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely—

“Provided further that upon the recommendations of the Council and subject to an opportunity of being heard, the Central Government may terminate the appointment of a Technical Member at any time.”;

6. In the principal rules, in rule 127, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely—

“(iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth of the close of each quarter.”;

7. In the principal rules, in rule 138, in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely—

“Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job-worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment;

Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation— For the purposes of this rule, the expression “handicraft goods” has the meaning as assigned to it in the Government of Bihar notification published in the Gazette vide S.O. No 179 Dated 21st September, 2017”;

8. In the principal rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in “**FORM GST TRAN-1**”,

(i) in Serial No. 5(a), in the heading, after the words, figures and brackets “Section 140(1)”, the words, figures, brackets and letter “, Section 140 (4) (a) and Section 140(9)” shall be inserted;

(ii) in Serial No. 7(a), in the table, in Serial No. 7A, in the heading, after the word “invoices”, the words, brackets and letters “(including Credit Transfer Document (CTD))” shall be inserted;

(iii) after the words “Designation/Status”, the following shall be inserted, namely—

“Instructions—

1. Central Tax credit in terms of sub-section (9) of section 140 of the CGST Act, 2017 shall be availed in column 6 of table 5 (a).

2. Registered persons availing credit through Credit Transfer Document (CTD) shall also file **Trans 3** besides availing credit in table 7A under the heading “inputs.”;

9. In the principal rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in “**FORM GSTR-4**”, in Serial No.8, in entry 8B(2), for the words “Intra-State Supplies”, the words “Inter-State Supplies” shall be substituted;

10. In the principal rules, with effect from the 30th day of August, 2017, in the Notes to “**FORM GST EWB-01**”, after Note 4, the following Note shall be inserted, namely:-

“5. The details of bill of entry shall be entered in place of invoice where the consignment pertains to an import.”

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3539)]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 888-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>